रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3091] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 29, 2016/पौष 8, 1938
No. 3091] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 29, 2016/PAUSA 8, 1938

गृह मंत्रालय

(आन्तरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2016

का.आ. 4219(अ).—जबकि, दिनांक 24 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 नवम्बर, 2015 की अधिसूचना सं. का.आ. 3160(अ) के तहत जगदलपुर स्थित प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा-11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया था, जिसका क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़ के सिविल डिस्ट्रिक्ट उत्तर बस्तर कांकेर, जगदलपुर, दक्षिण बस्तर (दन्तेवाड़ा) स्थित बस्तर, तथा कोंडागांव तक था;

और जबकि, जगदलपुर स्थित प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के उक्त न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करने वाली उक्त अधिसूचना को श्री संजीव कुमार तमक को उक्त विशेष न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करते समय उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2053(अ) के द्वारा असावधानीवश अधिक्रमित कर दिया गया था;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जगदलपुर स्थित प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए छत्तीसगढ़ के सिविल डिस्ट्रिक्ट उत्तर बस्तर कांकेर, जगदलपुर, दक्षिण बस्तर (दन्तेवाड़ा) स्थित बस्तर, तथा कोंडागांव के लिए एतदद्वारा, विशेष न्यायालय के रूप में पुन: अधिसूचित करती है और एतदद्वारा यह स्पष्ट करती है कि

भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 09 जून, 2016 की अधिसूचना सं. का.आ. 2053(अ) के अनुवर्ती एवं इस अधिसूचना के तत्काल पहले विशेष न्यायालय के रूप में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर के उक्त न्यायालय द्वारा कृत कोई भी कार्य अथवा कोई भी कार्रवाई, जो की गई हो अथवा की गई आभासित हो अथवा आक्रान्त हो, को उक्त विशेष न्यायालय द्वारा कृत अथवा आक्रान्त माना जाएगा, जैसे कि, उक्त अधिसूचना कभी प्रचलित ही नहीं हुई थी।

[फा. सं. 17011/50/2009-आईएस-IV]

सुधीर कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2016

S.O. 4219(E).—Whereas, vide notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number S.O. 3160(E), dated the 24th November, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 24th November, 2015, the Central Government notified the Court of 1st Additional Sessions Judge at Jagdalpur as Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), having jurisdiction over Civil District Uttar Bastar Kanker, Bastar at Jagdalpur, Dakshin Bastar (Dantewada) and Kondagaon of Chhattisgarh for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, the said notification, notifying the said court of 1st Additional Sessions Judge at Jagdalpur as Special Court, was inadvertently superseded vide notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number S.O. 2053(E), dated the 9th June, 2016 in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the said Act, while appointing Shri Sanjeev Kumar Tamak as a Judge to the said Special Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Act, 2008, the Central Government hereby re notifies the Court of 1st Additional Sessions Judge at Jagdalpur, as Special Court for Civil District Uttar Bastar Kanker, Bastar of Jagdalpur, Dakshin Bastar (Dantewada) and Kondagaon of Chhattisgarh for the trial of Scheduled Offences and hereby clarifies that anything done or any action taken or purported to have been done or taken by the said Court of 1st Additional Sessions Judge, Jagdalpur as Special Court, consequent to the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number S.O. 2053(E), dated the 9th June, 2016 and immediately before this notification, shall be deemed to have been done or taken by the said Special Court, as if the said notification had never come into force.

[F. No. 17011/50/2009-IS-IV]

SUDHIR KUMAR SAXENA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2016

का.आ. 4220(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 01 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 01 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2161(अ) के तहत विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस अधिनियम), भोपाल के न्यायालय को उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य था;

और जबकि, श्री वी. के. पाण्डेय, जिन्हें दिनांक 16 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 16 जुलाई, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 1585(अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानातंरण हो गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 16 जुलाई, 2012 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1585(अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर श्री शशि भूषण पाठक, 10वें अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आईएस-IV]

सुधीर कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2016

S.O. 4220(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, vide notification number S.O. 2161(E) dated the 1st September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 1st September, 2010, notified the Court of Special Judge (NDPS Act), Bhopal as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the state of Madhya Pradesh for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Shri V. K. Pandey, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court vide notification number S.O. 1585(E) dated the 16th July, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 16th July, 2012, has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 11 of the said Act and in supersession of the notification number S.O. 1585(E) dated the 16th July, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby appoints Shri Shashi Bhushan Pathak, Xth Additional Sessions Judge, Bhopal as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-IV]

SUDHIR KUMAR SAXENA, Jt. Secy.

Nishok Kumar Paria Digitally signed by Nishok Kumar Paria Date: 2016.12.29 19:08:13 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.